



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 फरवरी, 1980

फाल्गुन 2, शक सम्वत् 1901

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 423/सत्रह-वि0-1--81-79

लखनऊ, 21 फरवरी, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 19 फरवरी, 1980 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1980 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1980

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1980]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

'भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन।

"(7) दूध, दूध पाउडर और दूध ले जाने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित वरतन ;"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 423/XVII-V-1-81-79

Dated Lucknow, February 21, 1980

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 19, 1980:

**THE UTTAR PRADESH MOTOR GADI (MAL-KAR) (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 1980**

[U. P. ACT NO. 4 OF 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-Kar) Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India, as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980.

Amendment of
section 2 of U. P.
Act no. 15 of
1964.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-Kar) Adhiniyam, 1964, in clause (b), for sub-clause (vii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(vii) milk, milk powder and containers used or intended to be used for the carriage of milk;”.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.”